न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

आदेश

विविध वाद सं0 33/2017-18

अपीलार्थी – भौआ लोहरा ....
बनाम
उत्तरवादी – सरकार ....

आदेश की क0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
12.09.24	प्रस्तुत वाद अपीलार्थी भौआ लोहरा, पिता– बुधु लोहरा, ग्राम– सिलांग, थाना– पालकोट जिला – गुमला के द्वारा मौजा – सिजांग के खाता सं0 170, प्लॉट 663, रकबा 2.80 एकड़ भूमि के संबंध में अपील दायर किया गया।	

वादगत् भूमि का विवरण

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
सिजांग	170	663	2.80 ए0

कुल रकबा 2.80 एकड़

अपीलार्थी के द्वारा दाखिल विविध वाद को सुनवाई हेतु इस वाद को ग्रहण किया गया। अपील आवेदन पर कार्रवाई प्रारम्भ कर अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी की ओर से लिखित बहसः–

अपीलार्थी नोटिस प्राप्त कर अपने प्रधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए । भौआ लोहरा, पिता– बुधु लोहरा ग्राम– सिजांग, थाना– पालकोट के निवासी है। मौजा– सिजांग खाता संख्या 170 प्लॉट संख्या 663 रकबा 2.80 ए0 जमीन प्रथम पक्ष कई सालों से खेती करते आ रहे है। भौआ लोहरा भूदान यज्ञ कमिटि कार्यालय, राँची के द्वारा जमीन अंतर्गत ग्राम– सिजांग खाता संख्या 170 प्लॉट संख्या 663 रकबा 2.80 ए0 जमीन प्राप्त हुआ है। प्रथम पक्ष को जमीन मालिक बड़ा लाल कंदर्प नाथ शाहदेव के द्वारा भूदान यज्ञ कमिटि को दिया गया था। भूदान यज्ञ कमिटि के द्वारा प्राप्त जमीन पर 35 वर्षो से खेती करते आ रहे है। भौआ लोहरा पढ़े लिखे नहीं है इस कारण समय पर जमीन का दाखिल खारिज नहीं कर सकें। जमीन का विवरण :–

ग्राम–सिजांग थाना सं0 35 खाता सं0 170 प्लॉट सं0 663 रकबा 2.80 ए0

चौहदी – उत्तर– गहरा जंगल दक्षिण– चट्टान
पूरब – चट्टान पश्चिम– चट्टान

बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा समय–समय पर कोई परिपत्र प्रावधान किया गया जो कि छोटानागपुर क्षेत्र के गरीब भूमि हीन जातियों को सरकारी जमीन पर खेती करने के 2 ए0 से ले 4 ए0 तक जमीन बंदोबस्त करने का प्रावधान किया गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि भूदान यज्ञ कमिटि पटना के द्वारा प्राप्त जमीन पत्र द्वारा भौआ लोहरा को दाखिल खारिज करने का आदेश करा दिया जाय।

अपीलार्थी की ओर से दाखिल कागजात।

1 बिहार भूदान यज्ञ कमिटि पटना सन् 28.12.1984 भूदान पत्र।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों एवं अपीलार्थी एवं उत्तरवादी के दाखिल दस्तावेज लिखित जवाब, बहस सुनने एवं अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा– सिजांग खाता संख्या 170 प्लॉट संख्या 663 रकबा 2.80ए0 जमीन प्रथम पक्ष कई सालों से खेती करते आ रहे है। भौआ लोहरा भूदान यज्ञ कमिटि कार्यालय, राँची के द्वारा जमीन अंतर्गत ग्राम–सिजांग खाता संख्या 170 प्लॉट संख्या 663 रकबा 2.80 ए0 जमीन प्राप्त हुआ है। प्रथम पक्ष को जमीन मालिक बड़ा लाल कंदर्प नाथ शाहदेव के द्वारा भूदान यज्ञ कमिटि को दिया गया था।

अंचल अधिकारी, पालकोट के जांच प्रतिवेदन में भौआ लोहरा बनाम सरकार ग्राम–सिजांग थाना–पालकोट, मौजा–सिजांग,अम्बाटोली खाता सं0 170 प्लॉट सं0 633 रकबा 2.80 ए0 किस्म जमीन जंगल झाड़ी है जो कि पंजी ii में दर्ज नहीं है। जमीन गैरमजरूआ मालिक का है। उक्त जमीन G.M खास/ Deem Forest के नाम पर खतियान में दर्ज है। पूर्व में वादी के नाम पर बंदोबस्ती एवं पंजी ii में कायम नहीं है।

अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल विविद वाद को अस्वीकृत किया जाता है। इस आदेश के प्रति अंचल अधिकारी, पालकोट को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

12.09.24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया(गुमला)।

12.09.24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया(गुमला)।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2025.11.20 13:50:01 +05:30
Location: 192.168.0.112